



राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु सहायता अनुदान आवेदन-पत्र

सेवामें,

सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
.....(राज.)

पासपोर्ट साईज
का प्रमाणित
फोटो

विषय:-सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1. आवेदक का नाम:	2. पिता/पति का नाम:
3. जन्म दिनांक:	4. मोबाईल नं:
5. वर्तमान पता:	
6. व्यवसाय:	
7. सिन्धु दर्शन यात्रा की अवधि-दिनांक: _____ से दिनांक _____ तक कुल (____) दिन	
8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का विवरण (प्रमाणित प्रतियाँ)	
(अ) राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण-पत्र: जारी करने की दिनांक _____ व स्थान _____	
(ब) जन्म प्रमाण-पत्र: _____	
(स) आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/भामाशाह कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति।	
(द) लद्दाख स्थित सरकारी विभाग/समाज का रजिस्टर्ड ट्रस्ट या गठित कमेटी का सत्यापित प्रमाण-पत्र	
<ul style="list-style-type: none"> ● आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये। ● आवेदक कि उम्र 60 वर्ष से कम ना हो। ● आवेदक आयकरदाता न हो। ● आवेदक किसी भी सरकारी उपक्रम या स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/जीवन साथीपात्र नहीं होगा। ● 1 जुलाई 2017 से यात्रा पूर्ण करने के पश्चात 60 दिवस की अवधि में संबंधित सहायक आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 	

(जाँच के दौरान अधूरे/त्रुटिपूर्ण पाये आवेदन-पत्र निरस्त योग्य होंगे एवं लॉटरी में शामिल नहीं किये जायेंगे।)

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक द्वारा घोषणा

- 1- मैं _____ पिता/पति का नाम _____
 उम्र _____ व्यवसाय _____ निवासी _____
 सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-
- 2- मैं सिंधु दर्शन यात्रा योजना के नियम व निर्देश पूर्णतः पढ़/सुनकर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
- 3- मैं और जीवन साथी आयकरदाता नहीं हूँ।
- 4- मैं और जीवन साथी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त/कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूँ।
- 5- यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। इसके लिये राज्य सरकार, अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6- इस योजना के अन्तर्गत मई/पूर्व में यात्रा नहीं की है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा इस योजना के तहत पूर्व में यात्रा की है तो मैं यात्रा पर हुआ संपूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्ड स्वरूप राजकोष में जमा कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा तीन माह के अन्दर उक्त राशि जमा नहीं कराई गई तो मेरे विरुद्ध आई.पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाण- पत्र

मैं _____ पिता/पति का नाम _____

सत्यनिष्ठा के साथ प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र बिन्दू संख्या 1 से 5 तक में दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही एवं सत्य है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक:-

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग.....की रिपोर्ट

उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दस्तावेज सही पाये गये हैं। सहायता अनुदान राशि स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

सहायक आयुक्त देवस्थान _____